

प्ररूप-चार
(नियम 9 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल क्रमांक एवं ई-मेल आई डी
2. सोसायटी का पंजीयन क्रमांक तथा तारीख
3. वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या
4. सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम के किस विनियम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है.
5. संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस तारीख के सम्मिलन में पारित हुआ, सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यों को दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही.
6. साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है तथा सम्मिलन किस नियम के अधीन बुलाया गया, सूचना कितने दिनों की दी गई, कितने सदस्य उपस्थित रहे तथा सम्मिलन की गणपूर्ति क्या थी.
7. संशोधन प्रस्ताव तथा संशोधित नियमों तथा विनियमों की तीन प्रतियां प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यकारिणी के तीन सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पूर्ण ब्यौरों सहित प्रस्तुत करें, ऐसे नियमों, जिनके खण्ड में संशोधन प्रस्तावित है, को दर्शाते हुए विद्यमान उपबंधों तथा कारणों सहित संशोधनों का तुलनात्मक चार्ट भी कृपया प्रस्तुत करें.
8. ज्ञापन तथा नियमों और विनियम में संशोधन हेतु विहित फीस रुपये रसीद क्रमांक दिनांक चालान क्रमांक दिनांक द्वारा जमा कर दिये गये है, चालान की मूल प्रति संलग्न है.
9. मैं, पुत्र आयु निवासी पदनाम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं यह जानता हूं कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा.

.....
(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)